Haryana Government Gazette

EXTRAORDINARY

Published by Authority

© Govt. of Haryana

No. 57-2019/Ext.] CHANDIGARH, SUNDAY, MARCH 31, 2019 (CHAITRA 10, 1940 SAKA)

हरियाणा सरकार

आबकारी तथा कराधान विभाग

अधिसूचना

दिनांक 31 मार्च, 2019

संख्या 49/जीएसटी–2.– हरियाणा माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 19), की धारा 9 की उप–धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हरियाणा के राज्यपाल, परिषद् की सिफारिशों पर, इसके द्वारा, अधिसूचित करते हैं कि नीचे दी गई सारणी के खाना (3) में निर्दिष्ट पंजीकृत व्यक्ति, किसी अपंजीकृत आपूर्तिकर्ता से प्राप्त, नीचे सारणी के खाना (2) में निर्दिष्ट माल या सेवाओं या दोनों की प्रदाय के संबंध में ऐसे माल या सेवाओं या दोनों के प्राप्तिकर्ता के रूप में रिवर्स प्रभार के आधार पर कर का भुगतान करेगा, अर्थात्:–

क्रम संख्या	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)
1	ऐसे माल और सेवाओं या दोनों की प्रदाय (विकास अधिकार प्रदान करने, भूमि का दीर्घकालिक पट्टा (प्रीमियम, सलामी, विकास प्रभार आदि के रूप में अग्रिम भुगतान के प्रति) या फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (अतिरिक्त फ्लोर स्पेस इन्डेक्स सहित) के माध्यम से सेवाओं के अलावा) जो हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में क्रम संख्या 3 के सामने मद (i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (iङ) और (iच) में यथा विहित किसी वित्तीय वर्ष (या समापन प्रमाण पत्र जारी किए जाने या प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग) के दौरान परियोजना के निर्माण कार्य के लिए किसी प्रोत्साहक द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य में कमी को संस्थापित करता है ।	प्रोत्साहक
2	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के अध्याय शीर्ष 2523 के अधीन आने वाली सीमेन्ट जो हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में क्रम संख्या 3 के सामने मद (i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (iङ) और (iच) में यथा विहित किसी वित्तीय वर्ष (या समापन प्रमाण पत्र जारी किए जाने या प्रथम अधिभोग, जो भी पहले हो, की तिथि तक वित्तीय वर्ष का भाग) में, जो परियोजना के निर्माण कार्य के लिए किसी प्रोत्साहक द्वारा खरीदे जाने हेतु अपेक्षित माल या सेवाओं के न्यूनतम मूल्य में कमी को संस्थापित करता है ।	प्रोत्साहक

क्रम संख्या	माल और सेवाओं की आपूर्ति की श्रेणी	माल और सेवाओं का प्राप्तिकर्ता
(1)	(2)	(3)
3	सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का केन्द्रीय अधिनियम 51) की प्रथम अनुसूची के किसी भी अध्याय के अधीन आने वाला कोई पूंजीगत माल और जिसका ऐसी किसी परियोजना के निर्माण कार्य के लिए किसी प्रोत्साहक को प्रदाय किया गया हो, जिस पर हरियाणा सरकार, आबकारी तथा कराधान विभाग, अधिसूचना संख्या 46/एसटी–2, दिनांक 30 जून, 2017 में क्रम संख्या 3 के सामने मद (i), (iक), (iख), (iग), (iघ), (iङ) और (iच) में विहित दर पर कर भुगतानयोग्य है या भुगतान किया जाता है ।	प्रोत्साहक

व्याख्या – इस अधिसूचना के प्रयोजन के लिए –

(i) "प्रोत्साहक" शब्द का वही अर्थ होगा जो इसे भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यट) में दिया गया है;

(ii) "परियोजना" का वही अर्थ होगा जो इसे भू–सम्पदा से परियोजना या आवासीय भू–सम्पदा परियोजना में दिया गया है;

(iii) "भू–सम्पदा परियोजना" का वही अर्थ होगा जो इसे भू–सम्पदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का केन्द्रीय अधिनियम 16) की धारा 2 के खण्ड (यढ) में दिया गया है;

(iv) "आवासीय भू–सम्पदा परियोजना" शब्द का अर्थ है, भू–सम्पदा परियोजना जिसमें किसी वाणिज्यिक अपार्टमेंट्स का कारपेट क्षेत्र उस भू–सम्पदा परियोजना के सभी अपार्टमेंट्स के कुल कारपेट क्षेत्र के 15 प्रतिशत से अधिक न हो।

(v) ''फ्लोर स्पेस इन्डेक्स'' शब्द का वही अर्थ होगा जो भू–खण्ड, जिस पर भवन का निर्माण किया गया है, के आकार हेतु भवन का फर्श क्षेत्र (सकल फर्श क्षेत्र) का अनुपात ।'' ।

2. यह अधिसूचना प्रथम अप्रैल, 2019 को प्रभावी होगी।

संजीव कौशल,
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार,
आबकारी तथा कराधान विभाग।

HARYANA GOVERNMENT

EXCISE AND TAXATION DEPARTMENT

Notification

The 31st March, 2019

No. 49/GST-2.—In exercise of the powers conferred by sub-section (4) of section 9 of the Haryana Goods and Services Tax Act, 2017 (19 of 2017), the Governor of Haryana, on the recommendations of the Council, hereby notifies that the registered person specified in column (3) of the table below, shall in respect of supply of goods or services or both specified in column (2) of the Table below, received from an unregistered supplier shall pay tax on reverse charge basis as recipient of such goods or services or both, namely:-

Table

Serial No.	Category of supply of goods and services	Recipient of goods and services
(1)	(2)	(3)
1	Supply of such goods and services or both [other than services by way of grant of development rights, long term lease of land (against upfront payment in the form of premium, salami, development charges etc.) or FSI (including additional FSI)] which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017 at items (i), (ia), (ib), (ic), (id), (ie) and (if) against serial No. (3).	Promoter

Serial No.	Category of supply of goods and services	Recipient of goods and services
(1)	(2)	(3)
2	Cement falling in chapter heading 2523 in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) which constitute the shortfall from the minimum value of goods or services or both required to be purchased by a promoter for construction of project, in a financial year (or part of the financial year till the date of issuance of completion certificate or first occupation, whichever is earlier) as prescribed in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017 at items (i), (ia), (ib), (ic), (id), (ie) and (if) against serial No. (3).	Promoter
3	Capital goods falling under any chapter in the first schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (Central Act 51 of 1975) supplied to a promoter for construction of a project on which tax is payable or paid at the rate prescribed for items (i), (ia), (ib), (ic), (id), (ie) and (if) against serial No. (3) in the Table, in the Haryana Government, Excise and Taxation Department, notification No. 46/ST-2, dated the 30th June, 2017.	Promoter

Explanation. - For the purpose of this notification, -

(i) the term "promoter" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zk) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);

(ii) "project" shall mean a Real Estate Project (REP) or a Residential Real Estate Project (RREP);

(iii) the term "Real Estate Project (REP)" shall have the same meaning as assigned to it in clause (zn) of section 2 of the Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (Central Act 16 of 2016);

(iv) "Residential Real Estate Project (RREP)" shall mean a REP in which the carpet area of the commercial apartments is not more than 15 percent of the total carpet area of all the apartments in the REP.

(v) "Floor Space Index (FSI)" shall mean the ratio of a building's total floor area (gross floor area) to the size of the piece of land upon which it is built.".

2. This notification shall come into force with effect from the 1st day of April, 2019.

SANJEEV KAUSHAL,
Additional Chief Secretary to Government Haryana,
Excise and Taxation Department.

56981—C.S.—H.G.P.,Chd.